संख्या: 45 /2025/141/तीस-1-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2025

विषय- मौरावां बस स्टेशन, जनपद उन्नाव का उच्चीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या- 57बी/डीए/पूर्व/25-20जेईटी/वि0/24-25, दिनांक 27 जनवरी, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मौरावां बस स्टेशन, जनपद उन्नाव का उच्चीकरण किये जाने के संबंध में नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्टस कॉरपोरेशन लि0 से आकलित धनराशि रू0 116.04 लाख के प्रस्ताव का मूल्यांकन तथा औचित्य परीक्षण समिति द्वारा परीक्षणोपरांत धनराशि ₹112.52 लाख (जीएसटी एवं लेबर सेस सहित) औचित्यपूर्ण पाया गया है।

2- प्रश्नगत मौरावां बस स्टेशन, जनपद उन्नाव का उच्चीकरण कराये जाने हेतु आँकलित लागत ₹112.52 (जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस सहित) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹111.53 लाख (रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के साथ अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
3. परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेंडर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाए। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जाए ताकि कार्यदायी

संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि न अवमुक्त हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत राजकोष में जमा किया जाए।

5. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश संख्या-5/2021/File no. 65-2013/2/2019-2, दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत ''Harmonized guidelines and standard for universal accessibility in India 2021'' दिये गये प्रावधानों के अनुसार परिवहन निगम/ कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
8. प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा।
9. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. कार्यदायी संस्था द्वारानिर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाएगा।
11. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
12. निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किया जाए, जिसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0 प्र0 परिवहन निगम को होगा।
13. प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।
14. उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा।
15. उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किये जाने के उपरांत व्यय की जाएगी।
16. परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-043 के लेखा शीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0401-बस अड्डों के निर्माण में अंशपूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या- E-9-80-X-2025-2026- दिनांक 15-10-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 45 / 2025/141/तीस-1-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. उप सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9।
12. परिवहन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
13. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/-

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।